4. यह राशि राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक– 30.07.2013 की सम्पन्न बैठक के कार्यवाही संख्या– 10 में लिए गए निर्णय के आलोक में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सुदृढ़ीकरण के कम में **Database Management** एवं **Documentation** हेतु उपकरणों/उपस्कर/स्टेशनरी आदि के लिए आवंटित की जा रही है।
5. उपावंटित राशि की निकासी यथा संभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय बिहार पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन के साथ आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक – 2561/वि0(2), दिनांक– 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
7. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक – 15.03.2014 तक निश्चित रूप से कर दें, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाए।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाए।

विश्वासभाजन

ह0/-

जिला पदाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक : 428 / आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक– 24-09-2013 /

प्रतिलिपि :– जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, कोशी प्रमंडल,सहरसा/विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

24/09/13

जिला पदाधिकारी
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: आदेश :-

सरकार के विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-17/आ0प्र0, दिनांक-13.08.2013 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य योजना मुख्य बजट शीर्ष- 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष -80- सामान्य, लघुशीर्ष- 102 - विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उपशीर्ष- 005 जागरूकता एवं क्षमता निर्माण विपत्र कोड- N2245801020005 विषय शीर्ष- 2101- साम्रगी एवं पूर्तियां मद में मो0 4,00,000 (चार लाख) रू. मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे निम्न शर्त्तों के अधीन निम्नाकिंत कार्यालय/ पदाधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित राशि के रूप में उपवांटित किया जाता है :-

क0सं0	पद का नाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्त्तमान उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि
0	1	2	3	4
01	जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा	—	400000.00	400000.00

कुल - 4,00,000.00 (चार लाख)रू0 मात्र

उपावंटन की शर्त्ते :-

1. इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य योजना मुख्य बजट शीर्ष - 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप मुख्यशीष-80- सामान्य, लघु शीर्ष- 102 - विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उपशीर्ष- 005 जागरूकता एवं क्षमता निर्माण विपत्र कोड- N2245801020005 विषय शीर्ष- 2101- साम्रगी एवं पूर्तियां मांग संख्या- 39- मद में मो0 4,00,000 (चार लाख) रू. मात्र मद में विकलनीय होगा।
2. आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाए जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाए अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति, उपयोगिता प्रमाण- पत्र इस विभाग को शीघ्र भेज दिया जाय।
3. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उपमुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष /उपशीर्ष तथा विपत्र कोड़ का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाए। विपत्र कोड पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाए अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।